<u>व्यवहार वाद प्रकरण क्र०–12–अ/2019</u>

<u>गुलाब साहू विरूद्ध महेशराम साहू</u>

Witenss No. .....**02**..... for .....**प्रतिवादी साक्ष्य** ..... Deposition taken the ... **11.08.2026** .... day of ...**मंगलवार**... witness's apparent age.. **50 वर्ष**. states on affirmation ..... **शपथपूर्वक** .....my name is ....**टिकेलाल साहू**..... Son of **..स्व. श्री घनश्याम साहू**.....Occcupation .....**खेती किसानी**..... Address...**ग्राम गोहेदादर, तहसील व थाना–बसना, जिला–महासमुंद (छ.ग.)** .....

टीपः–प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 16.10.2023 को आदेश 18 नियम 04 व्य०प्र०सं० के तहत शपथ पत्रीय साक्ष्य पेश किया गया है, जिसमें कुल 04 कंडिका है । प्रतिवादी को शपथ दिलायी जाकर मुख्य परीक्षण प्रारंभ किया गया ।
प्रारंभ समय ..01:30... बजे ।

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री सतीश अग्रवाल, अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी

05– मेरे द्वारा दिनांक 02.06.2014 को सरायपाली रजिस्ट्री आफिस में मृतक त्रिनाथ साहू के द्वारा अपने भतीजे राधेश्याम साहू के पुत्र महेश साहू के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा में अपने स्वयं अर्जित संपत्ति जो ग्राम गोहेदादर एवं ग्राम कोलिहादेवरी एवं ग्राम बंसुलाडीपा में उसे प्राप्त थी, उसे रजिस्टर्ड वसीयत कर उसके मरने के पश्चात उसकी अंतिम इच्छा के रूप में महेश साहू को प्राप्त होने के लिए रजिस्टर्ड वसीयत बिना किसी डर, दबाव एवं स्वस्थ्य मन स्थिति में निष्पादित किया गया था, जिस पर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, रजिस्टर्ड वसीयत **प्रदर्श डी–01** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे तथा ब से ब, स से स भाग पर मृतक त्रिनाथ साहू के हस्ताक्षर हैं, जिसे मैं जानता व पहचानता हूं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री शिवशंकर प्रधान, अधिवक्ता वास्ते वादी

06– ग्राम कोलिहादेवरी से गोहेदादर की दूरी दो किलोमीटर है । मैं साधुराम को जानता हूं, जो बैद्य थे या नहीं मैं नहीं जानता हूं । मैं यह नहीं जानता हूं कि

साधुराम के नाम पर ग्राम गोहेदादर में जमीन था या नहीं । यह कहना गलत है कि साधुराम अपने पुत्र त्रिनाथ, राधेश्याम एवं गुलाब के नाम पर जमीन खरीदी थी । साधुराम के नाम पर ग्राम कोलिहादेवरी में जमीन था । साधुराम के तीन पुत्र एवं दो पुत्रियां थी, इसे मैं जानता हूं । मैं त्रिनाथ को 25–30 साल से जानता हूं । मैं त्रिनाथ के पास रोज मिलने नहीं जाता था । मुझे त्रिनाथ मिलने के लिये नहीं बुलाता था ।

07– लिखापढ़ी दिनांक 02.06.2014 को हुआ था । दिनांक 02.06.2014 को त्रिनाथ मुझे गोहेदादर बुलाने के लिये गये थे । मुझे बुलाने के लिए त्रिनाथ पैदल गए थे । मैं बाद में उसी दिन आया था । मैं कोलिहादेवरी उसी दिन आया था, मैं बसना तक अन्य व्यक्ति के साथ लिफ्ट मांगकर आया था,उसका नाम आज मुझे याद नहीं है, कोलिहादेवरी से त्रिनाथ भी लिफ्ट मांगकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ आया था, किस व्यक्ति के साथ आया था उसका नाम मैं नहीं बता सकता । बसना से बस के माध्यम से मैं और त्रिनाथ सरायपाली गये थे । वहां दस्तावेज लेखक गौरीशंकर मलिक द्वारा किया गया । स्टाम्प को त्रिनाथ खरीदकर लाये थे । मैं आज नहीं बता सकता कि त्रिनाथ किस स्टाम्प वेंडर से स्टाम्प खरीदे थे ।

08– मुझे यह मालूम है कि त्रिनाथ शिक्षक थे । मैं आज यह नहीं बता सकता कि त्रिनाथ लिखापढ़ी के समय दस्तावेज लेखक को जमीन का बी–01 खसरा या ऋण पुस्तिका दिये थे या नहीं । मैं लिखापढ़ी के समय बी–01 खसरा या ऋण पुस्तिका नहीं देखा था । मैं जन्मजय को सरायपाली में मिला जो हमारे साथ में था, जो गांव नौगड़ी का है । मेरे गांव से नौगड़ी की दूरी तीन किलोमीटर

है । सरायपाली पहुंचने से पहले मेरा जन्मजय से बातचीत हुआ था । स्टाम्प 50–50 रूपये की दो नग खरीदकर लाये थे ।

09– मैं यह जानता हूं कि त्रिनाथ का पुत्र अनिल था, जो लगभग 22–24 साल की उम्र में मृत हो गया । मैं वसीयत लिखापढ़ी करने के बाद पढ़ा हूं । यह कहना सही है कि वसीयत की प्रथम लाईन में मुझ वसीयतकर्ता त्रिनाथ साहू का कोई स्वजात संतान नहीं है, उल्लेख है, जो गलत है । लिखापढ़ी के दिन त्रिनाथ के पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी । उक्त वसीयत में त्रिनाथ के द्वारा महेश साहू को किस किस खसरा नंबर की भूमि को वसीयत में दिये थे, उसका उल्लेख नहीं किया गया था । यह कहना सही है कि उक्त वसीयत में त्रिनाथ के नाम पर कौन सा ऋण पुस्तिका बना था उसका उल्लेख भी नहीं किया गया है । यह कहना सही है कि उक्त वसीयतनामा में ग्राम कोलिहादेवरी एवं ग्राम गोहेदादर जो त्रिनाथ के नाम पर बना था उसका ऋण पुस्तिका का नंबर भी उल्लेख नहीं है ।

10– जिस दिन लिखापढ़ी हुआ उस दिन त्रिनाथ की आयु कितना था, उसका उल्लेख लिखापढ़ी में किया गया था, जो मुझे आज याद नहीं है । त्रिनाथ स्वस्थ्य थे, जिस दिन लिखापढी हुआ उस दिन त्रिनाथ का कोई डाक्टरी मुलाहिजा नहीं हुआ था । मुझे नहीं मालूम की त्रिनाथ का ईलाज रायपुर के रिम्स अस्पताल में महेश के द्वारा ईलाज कराया जाता था । यह कहना सही है कि त्रिनाथ स्वयं वाहन चलाकर आना जाना नहीं कर पाते थे, दूसरे व्यक्ति उन्हें एक दूसरे जगह पर ले जाने के लिये वाहन से ले जाते थे ।

11– त्रिनाथ रिश्ता में मेरे बड़े भाई लगते थे, इनका पारिवारिक जो भी विवाद पूर्व में हुआ है, उसमें कभी भी उपस्थित नहीं हुआ । मुझे त्रिनाथ के द्वारा कभी भी विवाद के निराकरण हेतु नहीं बुलाया गया । मैं इस वसीयत में त्रिनाथ के

हस्ताक्षर के अलावा अन्य किसी भी दस्तावेज में हस्ताक्षर नहीं देखा हूं । यह कहना सही है कि त्रिनाथ ओडिया भाषी थी और हिन्दी पढ़ना लिखना जानते थे। यह कहना गलत है कि गोहेदादर में त्रिनाथ की लगभग एक एकड़ जमीन को कमा रहा हूं । यह कहना सही है कि आज मुझे गवाही देने के लिये महेश मुझे लाया है ।

प्रतिपरीक्षण समाप्त ।
समय–....01:50.... बजे ।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकृत ।

सही/–
(मंजीत जांगड़े)
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बसना
जिला–महासमुंद (छ०ग०)

मेरे निर्देश पर टंकित किया ।

सही/–
(मंजीत जांगड़े)
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बसना
जिला–महासमुंद (छ०ग०)

सही/–
गवाह का हस्ताक्षर